

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या- 74/2016-17

-: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10/6/17	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता बिनोद रजवार, पिता-स्व० खुदु रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-दिवानगंज, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-दिवानगंज, थाना नं०-48 के खाता सं०-16 प्लॉट नं०-278, रकवा 0.04 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 614/भू०सु०, दिनांक 17.09.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2193 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है। जिसका खतियानी रैयत खुदु रजवार दीगर है। 2. विक्रेता ग्राम-दिवानगंज एवं क्रेता ग्राम-जयतारा, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के निवासी है। 3. विक्रेता जाति के रजवार एवं क्रेता जाति के बाउरी हैं जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 2.50 एकड़ भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या-44 में खुदु रजवार के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2014-15 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म कनाली है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-दिवानगंज, थाना नं०-48 के खाता सं०-16 प्लॉट नं०-278, रकवा 0.04 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्य टिप्पणी
	अंचल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०- 851 दिनांक 02.02.2015 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०- 355986 दिनांक 13.07.2016 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता बिनोद रजवार, पिता-स्व० खुदु रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-दिवानगंज, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को मौजा-दिवानगंज, थाना नं०-48 के खाता सं०-16 प्लॉट नं०-278, रकबा 0.04 एकड़ भूमि क्रेता श्रीमति शांति देवी पति श्री गणेश बाउरी, जाति-बाउरी, ग्राम-जयतारा, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	21/9/22